International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत मे लैंगिक समानता की रक्षा मे भारतीय कानूनी प्रणाली की भूमिका

डॉ राहुल शर्मा[1], साक्षी गुप्ता[2]

[1]असिस्टेन्ट प्रोफेसेर, माधव विधि महाविघालय, ग्वालियर (म. प्र.)
[2]एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष), माधव विधि महाविघालय, ग्वालियर (म. प्र.)

परिचय

लैंगिक समानता जिसे यौन समानता या लिंगों की समानता के रूप मे भी जाना जाता है | आर्थिक, भागीदारी और निर्णय लेने सहित लिंग की परवाह किए बिना संसोधनो और अवसरों तक पँहुच मे आसानी की स्थिति है | लैंगिक तब होती है जब सभी लिंगों के लोगों को समान अधिकार , जिम्मेदरिया और अवसर मिलते है | लैंगिक समानता मानवाधिकारों और शांतिपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है | भारत मे लैंगिक असमानता एक ऐसी समस्या है जो प्राचीनकाल से चली आ रही है | लैंगिक असमानता से हर कोई प्रभावित होता है – चाहे वह महिलाये, पुरुष, ट्रांस और विविध लोग, बच्चे और परिवार हो | यह सभी उम्र और प्रष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित करता है |

लैंगिक असमानता क्या है -

लैंगिक असमानता को सामान्य शब्दों मे कहा जा सकता है की लिंग के आधार विभेद या भेदभाव करना | लैंगिक असमानता वह सामाजिक घटना है जिसमे लिंग के आधार पर लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, असमानता के कारण उनको वे अवसर व वे समस्त अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते जिससे वह अपने जीवन को नई दिशा दे सके इसीलिए राष्ट्र के बेहतर विकाश के लिए लैंगिक असमानता को खत्म किया जाना आवश्यक है इसी कारण से लैंगिक असमानता चिंता का विषय बन गई है |
21वी सदी मे पुरुष और महिलाए विशेष रूप से घर और समाज के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते है किन्तु फिर भी ज्यादातर महिलाओ को अपने फैसले स्वंय लेने का अधिकार नहीं है | महिलाए समाज मे हर क्षेत्र मे बेहतर प्रदर्शन कर रही है किन्तु लैंगिक असमानता के कारण उन्हे अवसर नहीं मिल पता इसीलिए कही न कही उनका विकाश रुक जाता है | ऐसा नहीं है की लैंगिक असमानता का प्रभाव केवल महिलाओ पर पड़ता है कही न कही इसका प्रभाव पुरुषों पर भी पड़ता है, किन्तु पुरुषों की तुलना मे महिलाए अधिक प्रभावित होती है|
लैंगिक असमानता देश की वास्तविकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है |

लैंगिक असमानता के कारण -

पिछले कुछ वर्षों मे दुनिया लैंगिक समानता हासिल करने के करीब पँहुच गई है, किन्तु भारत मे लैंगिक असमानता अभी भी मौजूद है | भारतीय समाज मे लिंग असमानता के कई कारण है किन्तु इसका मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था मे निहित है | प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिलिवीय वाल्वे के अनुसार "पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है,जिसमे आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता |" महिलाओ का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है |

लैंगिक असमानता के निम्न कारण बताए गए है -

1. शिक्षा तक असमान पँहुच
2. रोजगार समानता कए अभाव
3. नौकरी प्रथककारण
4. कानूनी सुरक्षा का अभाव
5. शारीरिक स्वस्थातता का अभाव
6. खराब चिकित्सा देखभाल
7. धार्मिक स्वतंत्रता कए अभाव
8. जातिवाद
9. सामाजिक मानसिकता
10. राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र -

लैंगिक असमानता के कारण महिलाओ को हर क्षेत्र मे कठिनाइओ का सामना करना पड़ता है | वे किसी भी क्षेत्र मे कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाती उनके ऊपर ज्यादातर दवाव रहता है | वे क्षेत्र निम्न है-

1. सामाजिक क्षेत्र
2. आर्थिक क्षेत्र
3. राजनैतिक क्षेत्र
4. मनोरंजन क्षेत्र
5. खेल क्षेत्र

आकृति 1 लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र

भारत मे लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान -

संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ सभी नागरिकों को समानता और अवसर प्रदान के बारे मे बात करती है |

1. अनुच्छेद 14 –

संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात करता है, अर्थात कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति का दर्जा समान है |

2. अनुच्छेद 15 –

संविधान कए अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद कए प्रतिषेद करता है |

अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चे और महिलाओ के लिए विशेष उपबंद करने कए अधिकार देता है |

3. अनुच्छेद 39 –

संविधान का अनुच्छेद 39 यह सुनिशिचत करेगा की पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा |

पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा |

लैंगिक समानता मे न्यायपालिका की भूमिका -

न्यायपालिका हमेशा से ही निष्पक्ष रहा है और लैंगिक समानता को बड़ाबा देता है कानून सर्वसम्मत है और यह लोगों के जीवन के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावित करता है इसीलिए देश का कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है और लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| महिलाओ और एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ अत्याचारों के कारण भारतीय राजनीति के इतिहास के कुछ एतिहासिक फैसले आए , जो उन्हे न्याय प्रदान करने और भारत के संविधान के तहत समानता के अधिकार और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को बरकरार रखने के लिए लड़े गए |

तालिका 1 लैंगिक समानता मे न्यायपालिका की भूमिका

	महिला न्यायाधीश	पुरुष न्यायाधीश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	3	28
भारत का उच्च न्यायालय	75	578
जिला अदालत	11,485	5,154

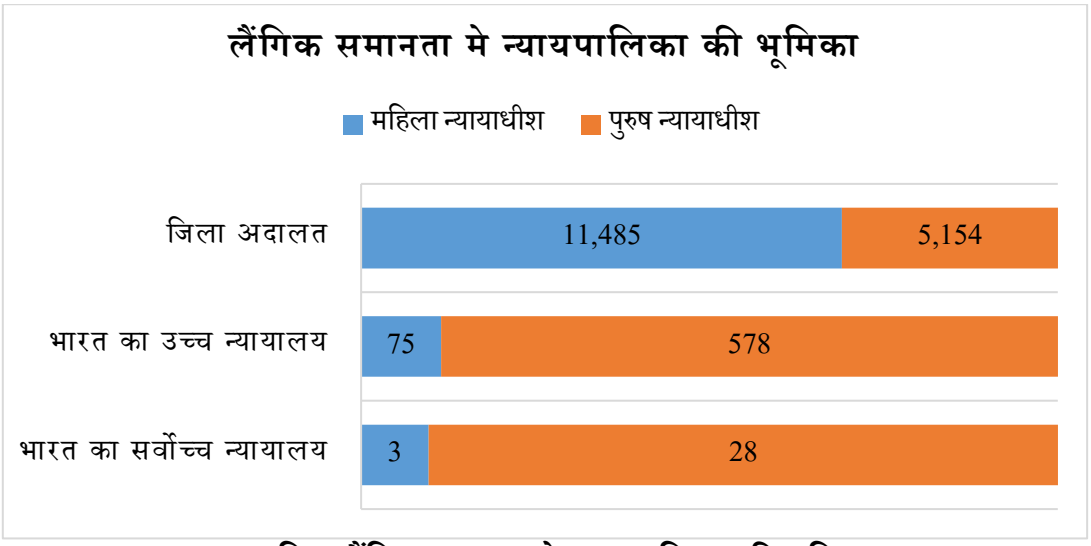

आकृति 2 लैंगिक समानता मे न्यायपालिका की भूमिका

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य -

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 मे सुनाया गया एक एतिहासिक मामले के कारण कार्यस्थलों पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न के मामले से निपटने के लिए कुछ दिशनिर्देश बनाए गए |

लक्ष्मी बनाम भारत संघ -

2006 मे एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी ने एक याचिका दायर कर एसिड की विक्री को विनियमित करने को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के उपाय की मांग की |

महिलाओ के खिलाफ एसिड हमलों से संबंधित मामलों की बड़ती संख्या पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 मे एसिड विक्री पर कड़े नियम लगा किए |

शायरा बानो बनाम भारत संघ -

यह वाद तीन तलाक के नाम से प्रसिद्ध है, यह 2017 म सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया जिसमे मुस्लिम पतियों द्वारा तीन बार तलाक कहकर तलाक लेने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया |

न्यायालय ने कहा की यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत समानता के अधिकार के खिलाफ है क्योंकि एसे तलाक मे महिला की कोई सहमति के बिना दे दिया जाता था इसीलिए यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया |

भारत मे लैंगिक समानता के लिए सरकार द्वारा प्रमुख नीतिया -

1. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001
2. बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ
3. सुकन्या समद्वी योजना
4. महिला हेल्पलाइन योजना
5. कामकाजी महिला छात्रावास
6. महिला शक्ति केंद्र
7. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि |

लैंगिक असमानता को समाप्त करने के प्रयास -

- समाज की मानसिकता मे धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है जिनके परिणामस्वरूप महिलाओ से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है |
- तीन तलाक, हाजी अली दरगाह मे प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओ को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है |
- आर्थिक क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाए चलाई जा रही है |
- लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कानूनी प्रावधानों के अलवा किसी देश के बजट मे महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेन्डर बजटिंग कहा जाता है इसके जरिए सरकारी योजनाओ कए लाभ महिलाओ तक पँहुचाया जाता है |

लैंगिक समानता मे भारत का स्थान -

लैंगिक समानता के मामले मे भारत 146 देशों मे 127 वे स्थान पर पँहुच गया है | विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूइएफ) की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2023 के अनुसार भारत की स्थिति मे पिछले साल की तुलना मे आठ स्थान का सुधार हुआ है | सन 2022 मे भारत 135 वे स्थान पर था |

तालिका 2 लैंगिक समानता मे भारत का स्थान

सन	लैंगिक समानता मे भारत का स्थान
2022	135
2023	8th

निष्कर्ष –

भारत मे लैंगिक समानता हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत्त उपायों , योजनाओ और अन्य बातों पर ध्यान दिया गया है | लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए कई नियम कानून और विधि बनाई गई है और उन नियम कानून मे समय के साथ साथ कई परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे समाज मे फैली असमानता का समाधान हो सके | जिससे देश मे विकाश हो सके |

संदर्भ –

1. http://legalupanished.com/india-legal-system-proctecting-gender-equality
2. http://legalvidhiya.com/genderinequality-in-india
3. http://indialegallive.com/laws
4. http://hindicurrentaffairs.adda247.com/india-moves-up-8-places-to-127-in-wef-gender-gap-report
5. http://hi.m.wikipedia.org/wiki
6. http://blog.ipleaders.in/government-policies-for-gender-equality-in-india
7. http://www.humanrightscareers.com
8. http://blog.ipleader.in/judicial-development-toward-gender-justice/